

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की 197 वीं बैठक  
दिनांक 19 जनवरी, 2007 का कार्यवृत्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 196वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री चितरंजन स्वरूप की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1	श्री चितरंजन स्वरूप	अध्यक्ष, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	अध्यक्ष
2	श्री एम०ए०ए०खान	आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
3	श्री उदय प्रताप सिंह	विशेष सचिव प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य
4	श्री एम०एम० खान	विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र०शासन।	सदस्य
5	श्री मुकेश मित्तल	विशेष सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6	श्री मार्कण्डेय सिंह	महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य
7	श्री एस०बी०दफ्तरदार	वरिष्ठ नगर एवं ग्राम्य नियोजक प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
8	श्री पी०के० जैन	मुख्य अभियन्ता प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम।	
8	श्री एस०एन० राम	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य

विशेष आमंत्रि

9	श्री एच०डी०सिंह	वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	
10	श्री सरफराज अहमद	प्रभारी मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने, निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

- 2/1/07

मद सं०	विषय	निर्णय
197/1	परिषद की 196वीं बैठक दिनांक 18.12.2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	<p>परिषद की 196 वीं बैठक दिनांक 18.12.2006 के मद संख्या-15 पर पारित निर्णय के सम्बन्ध में विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त द्वारा कहा गया कि पर्यटन नीति के अर्न्तगत आरक्षित मूल्य के निर्णय से आवास एवं पर्यटन विभाग को भी अवगत करा दिया जाये।</p> <p>मद संख्या-19 पर पारित निर्णय के सम्बन्ध में विशेष सचिव प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त द्वारा कहा गया कि निविदाओं की स्वीकृतियाँ हेतु प्रक्रिया आवास आयुक्त द्वारा स्वयं निर्धारित की जाये।</p> <p>परिषद की 196 वीं बैठक की कार्यवृत्त पढ़कर सुनाई गयी जिसकी उपरोक्त संशोधन के साथ पुष्टि की गयी।</p>
197/2	परिषद की 196वीं बैठक दिनांक 18.12.2006 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
197/3	दिल्ली बुलंदशहर बाई पास मार्ग योजना गाजियाबाद की भूमि दरों के निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जो किसान 5 प्रतिशत भूमि नहीं चाहता उसका मूल्य उसे दे दिया जायेगा।</li> <li>2. अधिगृहित भूमि का प्रतिकर किसानों से agreement करा कर दिया जायेगा।</li> </ol>
197/4	परिषद की सुल्तानपुर रोड योजना, लखनऊ के कार्यों हेतु लखनऊ में अस्थायी रूप से एक नवीन निर्माण खण्ड की स्थापना।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
197/5	16 नग निष्प्रयोज्य वाहनों के विरुद्ध नए वाहन क्रय करने की स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

197/6	स्कूल भूखण्डों के लिए पंजीकरण की नियमावली के संबंध में।	शासनादेश को अंगीकृत करते हुए करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के पत्र दिनांक 2 जनवरी 2007 के क्रम में कतिपय संशोधन आवश्यकतानुसार आवास आयुक्त द्वारा किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि एक भूखण्ड के लिये एक से अधिक अभ्यार्थी समान पात्रता के पाये जाते हैं तो उनके मध्य आवंटन लाट्री द्वारा किया जायेगा।
197/7	परिषद के आयकर के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
197/8	वृन्दावन योजना संख्या-1 लखनऊ में समाविष्ट खसरा संख्या 262 व 263 ग्राम खरिका एवं खसरा संख्या 35 ग्राम उत्तरेठिया के संबंध में।	प्रस्ताव निरस्त किया गया।
197/9	वृन्दावन योजना संख्या-1 लखनऊ में समाविष्ट ग्राम खरिका खसरा संख्या 354 रकबा 0-2-0 बीघा भूमि को योजना में समायोजित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
197/10	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की नयी योजनाओं की विज्ञप्ति के प्रकाशन को स्थगित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निर्देश दिये गये कि शासन से अनुरोध कर लिया जाये।
197/11	योजना संख्या-7, मेरठ में समाविष्ट खसरा संख्या 3947 से 3951 तक की भूमि रकबा 10-16-00 बीघा भूमि के संबंध में।	निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत भूमि की वर्तमान स्थिति व आवास एवं विकास परिषद द्वारा उसके उपयोग के सम्बन्ध में परीक्षण कर स्पष्ट आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
197/12	परिषद की अंगूरीबाग योजना फैजाबाद के मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 149 के विरुद्ध ब्याज माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
197/13	आम्रपाली योजना लखनऊ में माननीय विधायक श्री अब्दुल मन्नान को आबंटित भूखण्ड संख्या ई-6/एमएल-6 के स्थल पर विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण दण्ड ब्याज की धनराशि को माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

197/14	परिषद कर्मियों को 1 जुलाई, 2006 से शासकीय कर्मियों की भाँति मेंहंगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
197/15	अधीक्षण अभियंता के पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
197/16	श्री कृपा शंकर, सहायक अभियंता द्वारा आदेश संख्या 1409/सत0-35/04(1710) दिनांक 27.12.04 में पारित दण्डादेश में दिए गए दण्डों को समाप्त किए जाने हेतु अपील के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि श्री कृपा शंकर सहायक अभियन्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध किये जाने का आदेश, जो आदेश निर्गत के दिनांक से आगामी 5 वर्षों की अवधि तक संदिग्ध रहेगी विलुप्त की जाती है। श्री मिश्रा को दी गयी " निन्दा प्रविष्टि" यथावत रहेगी। यह भी निर्देश दिये गये कि परिषद में दिये गये समस्त अग्रिमों की भी समीक्षा कर ली जाये।
197/17	श्री एच0आर0मिश्रा, अधिशासी अभियंता संप्रति अधीक्षण अभियंता द्वारा आदेश संख्या 221/सतर्कता दि0 28.2.2004 द्वारा प्रदत्त प्रतिकूल प्रविष्टि को समाप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत अपील के संबंध में।	श्री एच0आर0 मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता को प्रदत्त प्रतिकूल प्रविष्टि को समाप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत अपील को विचारोपरान्त निरस्त किया गया।
197/18	श्री दिनेश कुमार, अवर अभियंता को वर्ष 1996-97 में दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को विलुप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत अपील के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को विलुप्त करने का निर्णय लिया गया।
197/19	परिषद की वृन्दावन योजना स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-7 ए/269 के विरुद्ध देय विलम्ब शुल्क माफी के संबंध में।	50 प्रतिशत आरोपित विलम्ब शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया।
197/20	इन्दिरा नगर योजना में डुप्लेक्स भवन संख्या सी-501 डी एवं सी-501 एच का कब्जा एवं ब्याज माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
197/21	इन्दिरा नगर योजना रायबरेली में स्थित रामाकृष्णा एकेडमी नर्सरी स्कूल भूखण्ड आबंटन के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए विलम्ब शुल्क एवं अतिरिक्त ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया।
197/22	सहायक अभियंताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष की "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्देश दिये गये कि भविष्य में परिषद के निर्णय के बाद ही प्रोन्नति आदि की कार्यवाही की

197/23	श्री राजेश दीक्षित, मानचित्रक को आदेश संख्या 4526/प्रशा0-एक/कोर गुप दिनांक 7.3.2002 द्वारा दिए गए दण्डों के संबंध में।	श्री राजेश दीक्षित मानचित्रक को दिये गये दण्डादेश के विरुद्ध उनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को विचारोपरान्त निरस्त किया गया।
197/24	परिषद की केशवपुरम योजना संख्या-1, कानपुर स्थित मिश्रित भूखण्ड संख्या एन/एमएल-18 पर लगाए गए विलम्ब शुल्क माफ करने के संबंध में।	50 प्रतिशत आरोपित विलम्ब शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया।
197/25 (अतिरिक्त)	जिगर विहार योजना मुरादाबाद में स्थित अल्प आय वग्न भवन संख्या जी ए-321 के विरुद्ध आरोपित ब्याज /दण्ड ब्याज माफ करने एवं रजिस्ट्री सम्पादन के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
197/26 (अतिरिक्त)	रिटेल आउट लेट के लिये परिषद योजनाओं में भूमि का प्राविधान करने के संबंध में।	सैद्धान्तिक रूप से सहमत होते हुए यह निर्णय लिया गया कि होटल की भांति नीति निर्धारित करने के लिए शासन को संदर्भित कर दिया जाये।
197/26	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	-

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)  
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(डा0एम0ए0ए0खान)  
आवास आयुक्त

(चितरंजन स्वरूप)  
अध्यक्ष

पुल्लि का बाघी

20/3/07  
अध्यक्ष